राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 95/2016

1. सुबे सिंह पुत्र रघुनाथ नवीरा ठाकरसी जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. नेतराम पुत्र रघुनाथ नवीरा ठाकरसी जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. विजय सिंह पुत्र रघुनाथ नवीरा ठाकरसी जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..... वादीगण

ब–ना–म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रतिवादी

दावा– घोषणात्मक खातेदारी

निर्णय दिनांक :– 15–09–2020

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम डाडाफतेहपुरा पटवार हल्का डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जमाबंदी संवत् 2069 लगायत 2072 के खाता सं. 459 में दर्ज खसरा नंबर 1329 रकबा 0.38 है. एवं अन्य खसरा नंबरान में सामलात नम्बरदारान के नाम से जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि को वादीगण अपने पूर्वजों के समय से सम्वत् 2012 से पूर्व से ही निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा अपने कब्जा की भूमि में काफी शारीरिक मेहनत करके व काफी खर्चा लगाकर भूमि में सुधार कार्य करके काश्त के योग्य बनाया है एवं अपने कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 1329 रकबा 0.38 है. पर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि हाल खसरा नंबर 1329 गत खसरा नंबर 1563/1275 से बने हैं तथा गत खसरा नंबर 1563/1275 की गिरदावरी में भी वादीगण के पूर्वजों का अंकन कब्जे काश्त में अंकित है। लेकिन सहवन से राजस्व अधिकारियों की मानव भूल के कारण वादीगण के नाम से खातेदारी अंकित नहीं हो सकी तथा वादीगण का कब्जा निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रह है इसलिए वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण को वाके ग्राम डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1329 रकबा 0.38 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की कृपा करें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से भूमिधारी तहसीलदार, खेतड़ी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा रहा हो तथा उनके द्वारा खर्चा लगाकर भूमि को काश्त योग्या बनाया हो, वादीगण के पास इसका कोई ठोस एवं पर्याप्त सबूत नहीं है। वादग्रस्त भूमि मुताबिक रिकार्ड सम्वत् 2012 से हाल रिकार्ड तक सामलात नम्बरदारान के नाम दर्ज रही है। भूमि सामलात नम्बरदारान के नाम दर्ज होने से समस्त गांव के उपयोग हेतु सार्वजनिक उपयोग की रही है। वादीगण

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:15:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रश्नगत भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज है। इस प्रकार की सार्वजनिक भूमियों के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत जनहीत याचिका जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य प्रकरण में दिये गये निर्णयानुसार इस प्रकार की भूमियों को सार्वजनिक माना गया है। इस प्रकरण की सामलात नम्बरदारान के नाम दर्ज भूमियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत सिविल रिट याचिका संख्या 4608/2015 के अनुसरण में भूमि को सार्वजनिक हित की माना जाकर बेदखल की कार्यवाही करने बाबत जिला कलेक्टर महोदय, झुन्झुनूं के द्वार भी आदेश क्रमांकः प.40(11)(5)राज/परि.खे./15/4986–89 दिनांक 7.12.2015 फरमाया है। इस प्रकार वादीगण को भूमि का खातेदार घोषित किया जाना उचित नहीं है। अतः राज्य एवं जनहित को देखते हुये वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावे।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2069–2072 खाता सं. 459 ग्राम डाडाफतेहपुरा, फोटो प्रति संवत् 2012, खसरा गिरदावरी संवत् 2016–2019, मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से जबाब पेश किया गया जिसमें शामलात नम्बरदारान की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते, कथन किया है। भूमि शामलात नम्बरदारान के नाम दर्ज होने से समस्त गांव के उपयोग हेतु सार्वजनिक उपयोग की रही है। वादीगण प्रश्नगत भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज है। इस प्रकार की सार्वजनिक भूमियों के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत जनहीत याचिका जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य प्रकरण में दिये गये निर्णयानुसार इस प्रकार की भूमियों को सार्वजनिक माना गया है। बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। पत्राावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2069–2072, फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2012, मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से अपने वाद को सिद्व करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सबूत एव रिकार्ड पेश करने चाहिए थे लेकिन वादीगण द्वारा महज जमाबंदी संवत् 2012, खसरा गिरदावरी संवत् 2016–2019 व मिलान क्षेत्रफल की फोटो स्टेट कापी जो अस्पष्ट हैं, पेश की है जिसको रिकार्ड राजस्व वाद को सिद्व करने में ठोस आधारभूत अभिलेख नहीं माना जा सकता है। वादीगण की ओर से अपेक्षित रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में मानव भूल या सहवन से हुई त्रुटि के कथन की ताईद नहीं हो सकती। अतः वादीगण अपना वाद पक्ष सिद्व करने में असफल रहने के कारण वाद खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/9/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:15:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner